अध्याय-छः
याचिकाएं.

नियम 106 के अधीन प्राप्त याचिकाओं का साधारण रूप.

31. (1) जैसे ही कोई याचिका प्राप्त हो उसकी प्राप्ति स्वीकृति परिशिष्ट-3 में दिये गये पत्र में भेजी जाएगी.

(2) प्रत्येक याचिका का उसे सभा में उपस्थित करने से पहले यह देखने के लिये परीक्षण किया जायेगा कि क्या वह :-

(क) समुचित रूप में है,
(ख) सम्मानपूर्ण, शिष्ट और संयत भाषा में लिखी गई है,
(ग) नियमों और निर्णयों के, जो समय-समय पर किये जाएं, अनुरूप है.

(3) याचिका का परीक्षण हो जाने और उसके सामान्यतया तथा नियमानुकूल पाये जाने के बाद वह सभा में सदस्य या सचिव द्वारा, यथास्थिति उपस्थित या प्रतिवेदित की जायेगी :

परन्तु सभा के समक्ष विचाराधीन विधेयक संबंधी याचिका की स्थिति में, या उसकी प्राप्ति के बाद यथा संभव शीघ्र सभा में यथास्थिति, उपस्थित या प्रतिवेदित की जायेगी :

परंतु यह और भी कि प्रवर समिति के समक्ष विचाराधीन विधेयक संबंधी याचिका की स्थिति में याचिका सभा में उपस्थित किये बिना ही समिति को निर्दिष्ट की जा सकेगी.

दोषपूर्ण याचिकाओं का वापस लिया जाना.

32. यदि कोई याचिका प्रस्तुत किये जाने के बाद दोषपूर्ण पाई जाये , तो वह अध्यक्ष के आदेश से वापस ली जा सकेगी और याचिकाकार को तद्नुसार सकारण सूचना दी जायेगी:

परंतु इस प्रकार वापस की गई सूचना दोष के परिहार के उपरांत अध्यक्ष की अनुमति से प्रतिहस्ताक्षरितकर्ता सदस्य द्वारा पुनः प्रस्तुत की जा सकेगी.

याचिकाओं की ग्राह्यता के आधार.

33. यदि याचिका की ग्राह्यता का निश्चय करने के लिये संबंधित शासन के विभाग से कुछ तथ्यों की जानकारी लेना आवश्यक समझा जाये, तो उसे संबंधित सचिवालयीन विभाग को निर्दिष्ट किया जा सकेगा और तथ्य इकट्ठे किये जायेंगे अथवा उसके द्वारा उस पर जो कार्यवाही की गई होगी, उसका पता लगाया जायेगा.